न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
13/2020	प्रा0पत्र114 CPC	18.08.2020	23.05.2024

भींवाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. रामेश्वर लाल पुत्र रामकरण ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी व धारा 151, 114 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र खत्री प्रार्थी
2. अधिवक्ता राजपेरोकार अप्रार्थी
3 . अधिवक्ता श्री विजय कस्वां अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र 114 सी.पी.सी.का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 412, 745/743, 654/416, 653/416 कुल किता 04 कुल तादादी 7 बीघा 04 बिश्वा रोही मोजा बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी ने भूल वश खसरे को तोड़कर 1163/745 रास्ते का कृषि भूमि में कटानी रास्ता कायम कर दिया है जो एक आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू द्वारा के नं. प्रा. पत्र 20/2017 राजस्व कैम्प बूंटिया में पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.01.2017 को एक कटानी रास्ता कायम कर दिया गया।

उक्त प्रार्थना–पत्र राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार में दिनांक 06.01.2017 को एक प्रार्थना पत्र जिसमें रामेश्सर पुत्र रामकरण आदि ने दिया जो कि नया रास्ता कायम का था जिसमें प्रार्थी के कोई भी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं है मगर उक्त कृषि भूमि के आस पास पहले से ही कटानी रास्ता मौजूद है और पटवारी हल्का व गिरदावर ने ना तो मौके पर मुआयना किया और ना ही कोई मौका फर्द बनाई गई। जबकि मुझ प्रार्थी को ना ही तो पक्षकार बनाया गया और ना ही मेरे रास्ता के प्रति कोई सहमति पत्र दिया गया। पटवारी हल्का व गिरदावर ने रामेश्वर पुत्र रामकरण आदि से मिलकर साठ–गांठ करके मुझ प्रार्थी के खेत में नया रास्ता कायम कर दिया जो कि न्यायसंगत नहीं है व विधि विरूद्ध है।

रामेश्वर ने रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र दिया था वो गलत दिया क्यों कि रामेश्वर के खेत से सड़क पर उसके खेत का रास्ता है तथा अन्य व्यक्ति जिन्होने इस पर सहमति से हस्ताक्षर किये हैं उनके रास्ता पूर्व से ही [illegible] से और पटवारी हल्का व गिरदावर ने बिना मौका मुआयना व बिना जांच व पूछ[illegible] मेरे खेत में रास्ता कायम कर दिया जो कि विधि विरूद्ध है।

उक्त मौका रिपोर्ट [illegible] हस्ताक्षर है उन व्यक्तियों के खेतों में से पूर्व से ही रास्ता मौजूद है और नये रास्ते की कोई [illegible]श्यकता नहीं है जिसकी [illegible] हल्का से जांच करवाई जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चूरू (राज.)

प्रार्थना संख्या 20/2017 कैम्प बूंटिया में जिसका प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत बूंटिया लिया गया के आधार पर दिनांक 06.01.2017 को उक्त रास्ता के लिए आदेश किया गया था जिसके लिए रामेश्वर आदि ने बूंटिया में प्रार्थना पत्र दिया था जिस प्रस्ताव के बाबत् कथन है कि उक्त प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार के कोई सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है व ना ही सरपंच की मोहर लगाई गई है। उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो कैम्प में ली गई के आधार पर फर्द अहकाम में मौका पटवारी रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार साहब की अभिशंसा पर उक्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता काटने का आदेश दिया गया जो अदालत मातहत द्वारा गलत निर्णय पारित कर दिया गया।

उक्त प्रार्थना–पत्र संख्या 20/2017 में गलत रूप से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कटानी रास्ता कायम कर दिया गया जो कि सही नहीं है और ना ही पटवारी हल्का, भू–निरीक्षक व तहसीलदार साहब द्वार मौका नहीं देखा गया और जहां आज तक कोई रास्ता नहीं है मौका रिपोर्ट फर्द अहकाम जो कैम्प बूंटिया मे बनाई गई है वो काल्पनिक है जबकि प्रार्थी के खेत का मौका निरीक्षण नहीं किया गया है और मौके पर उक्त खातेदारी कृषि भूमि में कोई रास्ता नहीं है।

पूर्व में पारित निर्णय के समय सहमति पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर गलत रूप से करवाये गये है जबकि सरपंच द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित नहीं करवाया गया साथ ही इनके द्वारा पंचायत के लेटर हैड पर कोई सहमति नहीं दी गई है तथा जो सहमति बाबत् पंचायत के लेटर पैड पर अंकित किया गया है उस पर सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है और नाही कोई मोहर है इस प्रकार उक्त पारित निर्णय आर्बिट्रेरी व एकपक्षीय है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है अगर प्रार्थी को सुने बिना ऐसा निर्णय पुनर्विलोकित नहीं किया जाता है तो यह प्रकृति न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होगी इसलिए दिनांक 06.01.2017 को पारित निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

जैर पुनर्विलोकन निर्णय दिनांक 06.01.2017 का है जिस बाबत प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं रही, दिनांक 30.07.2020 को निर्णय की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 31.07.2020 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06.08.2020 को नकल प्राप्ति के पश्चात् अन्दर मियाद यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपर्युक्त दस्तावेज जो पेश किये गये है प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि दर्शाते है वो कैम्प बूंटिया में कैम्प में मौका रिपोर्ट फर्द अहकाम पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार की गई है। जो कि उक्त निर्णय/ आदेश जो गलत व खारिज योग्य है और प्रार्थी के दस्तावेज व मौका का पूर्ण अवलोकन नहीं किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है तथा पूर्व साक्ष्य तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष मे साबित है तथा हर तथ्य प्रार्थी के पक्ष मे होने के कारण स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में रास्ता संबंधित खारिज किया जावे और प्रार्थी के पक्ष में रास्ता संबंधित खारिज किया जावे और प्रार्थी के पक्ष में उक्त उक्त आदेश/निर्णय खारिज कर पुनः दिनांक 06.01.2017 की पूर्व स्थिति को बहाल किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोकन प्रस्तुत कर निवेदन है कि पूर्व में पारति निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2017 व नं. मु. 20/2017 [illegible] उपरोक्त दस्तावेजों के मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना–पत्र 20/2017 में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थी के पक्ष में पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर काटे गये कटानी रास्ते के आदेश व निर्णय को खारिज/निरस्त फरमाया जावे एवम् दिनांक 06.01.2017 की पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए।

प्रार्थी सुरेन्द्र व रामेश्वर लाल की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत् पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश की गई व सुरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विड्रॉ की गई। रामेश्वरलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रामेश्वरलाल उक्त प्रार्थना–पत्र में हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रामेश्वरलाल को प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 02 पक्षकार संयोजित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ओर से जवाब में अंकित किया गया कि पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश के अनुसार रास्ता कायम किया गया है। प्रार्थी की सहमति कटानी रास्ते में नहीं थी जो ख नं. 745/743 का खातेदार था परन्तु ख. नं. 412, 653/416, 654/416 के खातेदारों के कटानी रास्ते की सहमति के हस्ताक्षर है। यह कि पटवारी हल्का व गिरदावर ने बिना मौका मुआयना व बिना जांच व पूछताछ किये प्रार्थी के खेत में रास्ता कायम कर दिया पूर्णतः अस्वीकार है। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम बूंटिया के ख. नं. 412, 745/743, 654/416 व 653/416 कुल किता 04 में से कटानी रास्ता कायम किया गया है जिसमें ख. नं. 412, 654/416, 653/416 के खातेदारों की सहमति है परन्तु उक्त खसरा नम्बरों से कटा हुआ रास्ता का रकबा सम्बन्धित खातेदारों के खाते में ही रखा गया है।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायाल द्वारा रास्ता सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 में अप्रार्थी रामेश्वरलाल के प्रार्थना पत्र पर पिढियों से चले आ रहे मौके पर चालू रास्ते का अंकन तहसीलदार चूरू द्वारा विधिवत् रूप से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 96 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट ए व बी एवं अभिशंसा तहसीलदार चूरू के आधार पर खसरा नम्बर 412, 745/743, 654/416, 653/416 रोही बूंटिया मे से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में दर्ज करने का माननीय न्यायाल द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2017 विधिवत् रूप से पारित किया गया है किसी भी प्रकार की गलती या भूल के कारण नहीं किया गया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चूकी है। मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में आज भी रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा यह लिखना कि पटवारी हल्का व गिरदावरी ने बिना मौका मुआयना व बिना जांच पूछताछ किये नया रास्ता कायम कर दिया गया सरासर गलत है। बिना पर्याप्त आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है व मियाद प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में देरी का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।

माननीय न्यायाल द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2017 कानून के अनुसार एवं प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही समयक तत्परता के बाद आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भूल या गलती के कारण से पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बिना पर्याप्त आधार के प्रस्तुत किया है। कानूनन ऐसी स्थिति में यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की बिना सहमति के उसके खातेदारी कृषि भूमि के खेत से रास्ता कटानी कायम कर दिया गया जबकि प्रार्थी के खेत से कोई रास्ता नही जाता है आदि

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदि प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 को खारिज कर दिनांक 06.01.2017 से पूर्व की स्थिति की जावे । राजपैरोकार द्वारा कथन किया गया कि मौके पर चालू रास्ते को कटानी किया गया है जो खातेदारों के खाते में ही दर्ज हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से निवेदन किया गया कि अनुसार एवं प्रभावित पक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही समयक तत्परता के बाद आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भूल या गलती के कारण से पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बिना पर्याप्त आधार के पेश किया है। कानूनन ऐसी स्थिति में यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन एवं बहस सुनी जाने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.01.2017 को खारिज कर पूर्व स्थिति कायम करवाना चाहता है। जबकि धारा 114 सीपीसी में अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्या त्रुटि (an error apparent on the face of the record) का ही रिव्यू लगाया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अथवा दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई त्रुटि की तरफ ध्यान नही दिलाया है जो कि अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य (an error apparent on the face of the record) की श्रेणी में आती हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में जो आधार गिनाये गये हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो निर्णय दिनांक 06.01.2017 के पुनर्विलोकन का आधार बन सके। जिन बिन्दुओं पर एक बार निर्णात किये जा चुके हों उन पर पुनर्विलोकन के माध्यम से विचारण नहीं किये जा सकते हैं। यदि प्रार्थी निर्णय दिनांक 06.01.2017 को सही नहीं मानते हैं तो भी उसकी आपत्ति पर पुनर्विलोकन प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक बार पारित निर्णय को दूबारा परिवर्तीत नहीं किया जा सकता अपितु मात्र अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। यदि प्रार्थी के दृष्टिकोण से निर्णय दिनांक 06.01.2017 में सही निष्कर्षांकन नहीं भी किया है तो आलौच्य निर्णय दिनांक 06.01.2017 भूल (bymistake) से किया गया निर्णय नहीं है और ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के सीमित परिक्षेत्र में नहीं आता है। यदि प्रार्थी उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2017 से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उन्हें विधि मे उपलब्ध अन्य उपचार तलाश करना चाहिएं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को मंजूर करने के पर्याप्त आधार नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी को खारिज किया जाता है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ चूरू (राज.)

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:27 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू